संख्या-16/2021/579/77-3-2021-147(एम)/2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के जनपद अलीगढ़ में तहसील खैर के ग्राम अण्डला में33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (2×5 एम0वी0ए0), 33 के0वी0 लाइन, 33 के0वी0 ''बे'' व 11 के0वी0 लाइन के निर्माण हेतु धनराशि रू0 769.76 लाख की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13499/यूपीडा/डिफे0कॉरि0/961 दि. 14.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' मद में प्राविधानित अवशेष धनराशि रू. 138.2424 करोड़ में से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास हेतु जनपद अलीगढ़ में तहसील खैर के ग्राम अण्डला में33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (2×5 एम0वी0ए0), 33 के0वी0 लाइन, 33 के0वी0 ''बे'' व 11 के0वी0 लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित परियोजना लागत धनराशि रू0 769.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 769.76 लाख (रू0 सात करोड़ उनहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैंः-

(1) यूपीडा द्वारा धनराशि आहरित करके अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़ को उनके द्वारा की गयी मांग के क्रम में उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़ से प्राप्त कर यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यो का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/ दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 29.09.2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगें।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-208/दस-2021 दिनांक 15.03.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-16/2021/579(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/अलीगढ़।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।